Sem 3 GE/DSC & Sem 5 CC-12

मुख्यमंत्री Chief Minister

जिस प्रकार केन्द्र में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। राज्यपाल केवल दो स्थितियों में स्वविवेक का प्रयोग करता है- 1) जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो और मुख्यमंत्री पद के लिए एक से अधिक दावेदार हों।

2) विधानसभा में बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो।

मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति के समय विधानसभा का सदस्य न हो तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कार्यविधि- संविधान में कहा गया है कि ये (CM) राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। पर व्यवहार में जब तक CM को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह अपने पद पर बना रहता है। यदि विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा।

कार्य एवं शक्तियाँ

1. यह मंत्रिपरिषद् का गठन करता है। यह मंत्रियों की सूची राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उन व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ दिलवाता है।
2. यह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, विभागों का फेरबदल, विभागों में समन्वय, मंत्रियों के बीच के मतभेदों को दूर करने का कार्य करता है। यदि यह किसी मंत्री से नाराज हो जाए तो उसे मंत्रिपरिषद् से निकाल भी सकता है।
3. CM बैठकों की अध्यक्षता करता है। बैठकों की तिथि व कार्यसूची निर्धारित करता है। विभिन्न विभागों के कार्यों का निरीक्षण करता है।
4. वह मंत्रिपरिषद् और राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करता है। मंत्रिपरिषद् के निर्णयों से वह राज्यपाल को तथा राज्यपाल के विचार से मंत्रिपरिषद् को अवगत कराता है।
5. विधानसभा में कानून निर्माण का कार्य बहुत सीमा तक उसकी इच्छानुसार ही होता है।
6. राज्यपाल शासन संबंधी कार्यों में उसकी सलाह लेता है।
7. महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों आदि की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है।

स्थिति- इसकी स्थिति बहुत हद तक विधानसभा में इसे प्राप्त बहुमत पर निर्भर करता है। जब विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो तो स्थिति मजबूत होती है लेकिन यदि गठबंधन सरकार का मुखिया हो तो इसकी स्थिति कमजोर होती है।

—By Nisha Kongari (Pol. Sci. Dept.)